



सं0 ए-35018/1/2011-प्रशा.1

तार-इनरपावर

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं0 23715507, फैक्स नं0 23717519

दिनांक २२ सितम्बर, 2011

प्रति

- (1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
- (2) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।
- (3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान।
- (4) सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष।
- (5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव।
- (6) सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान।
- (7) अध्यक्ष इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड।
- (8) सचिव, पीएसईबी नई दिल्ली।

विषय: प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में, सदस्य (हाइड्रो) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में सदस्य (हाइड्रो) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिसम्बर 15/4/2011 की रिक्त सं.ए.350/8/1/2011-प्रशा. I परिचालित करने का निदेश हुआ है। | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्त एवं निबंधन) नियम, 2005 में वर्णित प्रावधानों से संबंधित पात्रता शर्त पूरी करने वाले व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

2. ऊपर उल्लिखित नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो-

(क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्षों के लिए नियमित आधार पर ₹० 18400-500-22400(संशोधन पूर्व) [₹० 37400-67,000+₹० 10,000 का ग्रेड वेतन (संशोधित)] में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद या उच्च पद अथवा वेतनमान;

अथवा

कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर, राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

(ख) व्यक्ति को विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिभाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव होना भी आवश्यक है।

3. इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष (आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को) होगी।

4. अब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (हाइड्रो) के पद को पुनःपरिचालित करने का निर्णय लिया गया है और उपरोक्त पैरा 2 और 3 में वर्णित पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिन्होंने पैरा 2(बी) के अनुसार अपेक्षित क्षेत्रीय अनुभव और उपरोक्त पैरा 3 में वर्णनानुसार 58 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के साथ युप ‘क’ में कुल 30 वर्ष की सेवा तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 3 वर्ष की अर्हता सेवाएँ की हैं।

ii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद का वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के समान 22,400-525-24,500 रुपए (संशोधन-पूर्व) [(67,000-79,000 रुपए (संशोधित)] है। इस पद के पदधारी केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों/लाभों के हकदार होंगे।

5. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तों) नियमावली, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार की जा रही हैं।

6. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70(5) में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य,

अर्थशास्त्र अथवा औद्योगिक गामलों से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव हो, तथा वे इसमें सक्षम हों, और कम-से-कम एक सदस्य निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी में से नियुक्त किया जाएगा अर्थात्-

- (क) उत्पादक केन्द्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
- (ख) विद्युत के पारेषण एवं आपूर्ति में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
- (ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ।
- (घ) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य अथवा वित्त ।

7. सदस्य (हाइड्रो), सीईए के पद से जुड़े कार्य एवं उत्तरदायित्व अनुबंध-1 में दिए गए हैं ।

8. सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित समयावधि तक पद पर बने रहेंगे । इस पद पर नियुक्ति समान्यतः 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी जो कि पदधारी की अधिवर्षिता की आयु तक सीमित होगी । चयनित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलन हेतु पात्र नहीं होंगे ।

9. इन पदों के लिए आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु अंतिम तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी ।

10. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपर्युक्त एवं पात्र सेवारत अधिकारियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ, संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-II) (चार प्रतियों में) में इस प्रकार से अग्रेषित करें कि यह रिक्ति के एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं 0 26, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001. के पास पहुंच जाए-

- (i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां ।
- (ii) सतर्कता संबंधी प्रमाण-पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो जो भारत सरकार में उप सचिव के रैंक से नीचे का न हो) ।
- (iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा ।

11. जिन्होंने दिनांक 15/4/2011 के पूर्व रिक्ति पत्र तथा 30/4/2011 - 6/5/2011 के रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रत्युत्तर में इस पद के लिए आवेदन किया था उन्हें अब आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पहले के आवेदन पर ही विचार किया जाएगा ।

12. अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा बिना निर्धारित दस्तावेजों/सूचना के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

मधुकर
(मधुकर सूद)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23766236

संलग्न: यथोक्तः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः

- (i) विद्युत मंत्री के निजी सचिव/विद्युत राज्य मंत्री के निजी सचिव।
- (ii) सचिव (विद्युत) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (आर.ए.) के निजी सचिव।
- (iii) एन.आई.सी., विद्युत मंत्रालय को, रिक्ति परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए। यह परिपत्र अक्टूबर, 2011 के अंत तक वेबसाइट में रखा जाए।

मधुकर

(मधुकर सूद)
अवर सचिव, भारत सरकार

सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

देश में समग्र जल विद्युत विकास; जल विद्युत रक्कीमों की सहमति; जल संसाधनों के उपयोग हेतु एकीकृत आयोजना; जल विद्युत क्षमता का मूल्यांकन; अन्वेषण एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में राज्यों की सहायता करना; जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण एवं अन्वेषण प्रबोधन और इसमें जुड़ी समस्याओं के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना; जल विद्युत प्रौद्योगिकियों को अद्यतन करना, विकास एवं मूल्यांकन; जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलू; गुणवत्ता आश्वासन योजना एवं मानकीकरण; जल विद्युत परियोजनाओं का डिजाइन एवं इंजीनियरिंग; जल विद्युत स्टेशनों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन; जल संसाधनों के विकास के लिए पारस्परिक लाभ आदि हेतु नेपाल, भूटान और म्यांमार पड़ोसी देशों के साथ सहयोग आदि।

१३६

केंद्रीय दिव्युत प्राधिकरण में सदस्य (मार्ड्डी) के पद हेतु आवेदन-पत्र

भाग-।

जीवन वृत्त

1. नाम व पता दूरभाष नंबर सहित					
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)					
3. केंद्र/राज्य सरकार/ मूल संगठन नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि					
4. शैक्षिक योग्यता					
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं । (यदि विस्तीर्णी शैक्षिक योग्यता को नियमों में वर्णित किसी शैक्षिक योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसके प्राधिकारी का उल्लेख करें)	अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं/ अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव			
	(1) (2) (3)				
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि उपर्युक्त प्रविष्टियों के मद्देनज़र क्या आप पद संबंधी अपेक्षा पूरी करते हैं ।					
7. कालानुक्रम में रोज़गार के ब्यौरे । यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से एक स्वःप्रमाणित कागज संलग्न करें ।					
कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्यों की प्रकृति (विस्तार में)

<p>8. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अनुबंध आधार पर या रथायी ।</p>	
<p>9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है तो कृपया बताएं-</p>	
<p>क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि: ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की अवधि ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं</p>	
<p>10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं)</p>	
<p>क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्तशासी संगठन घ) सरकारी उपक्रम ठ.) विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान च) अन्य</p>	
<p>11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हाँ, तो वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधन पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं</p>	
<p>12. अब प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियाँ</p>	
<p>13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जो आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें ।</p>	
<p>(इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (I) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्त परिपत्र/विज्ञापन में वर्णित कार्य अनुभव से अधिक अनुभव होने के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं) (नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज संलग्न करें)</p>	

ମହାତ୍ମାବ୍ରଜିନୀ ପଦ୍ମନାଭ ମହାନ୍ ଏବଂ ପଦ୍ମନାଭମାତ୍ରଙ୍କ ମହାବ୍ରଜିନୀ ଏବଂ ପଦ୍ମନାଭ

ଓ ପାଇଁ
ଓ ପାଇଁରେ/ପାଇଁର
:ପାଇଁ

	(କୁଳ ପାତାର ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ)
	ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଧିକୀୟ ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ - ୩୫୯)
(I)	ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଧିକୀୟ ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ (VII)
(II)	ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଧିକୀୟ ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ (III) ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଧିକୀୟ
(III)	ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଧିକୀୟ
14.	ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ (III) ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ (II) ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ (I)

(आवेदन- पत्र अग्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

संदर्भ सं0.....

तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि-

- (क) ऊपर उल्लिखित अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित अथवा विचारणीय नहीं है;
- (ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है (यदि आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें);
- (ग) आज की तारीख में आवेदक के विरुद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरुद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय.....

(आवेदन-पत्र का भाग-II सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सरकार से निम्न पद पर न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)
